

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 145 सन 2019

अनवान :-

1. चोरूलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र नानकराम जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. दिनदयाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. भानीराम पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 28/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 के खसरा न० 297/5.7160 है व खसरा न० 461 की 0.5940 है कुल 6.3100 है भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 15-2/3 हिस्से के नानकराम खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 363/214 के खसरा न० 459/2 की 9.5860 है खसरा न० 1104/2 की 1.9600 है कुल 11.5460 है भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 364/67 के खसरा न० 381/2 की 0.8470 है व खसरा न० 382 की 2.5280 है कुल 3.3780 है भूमि तीनों खातों में महावीर पुत्र नानकराम सयुक्त तौर से 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है रोही मौजा वैनपुरा के खाता संख्या 115/65 की कुल तादादी 3.3760 है व खाता संख्या 115/65 की कुल 5.3740 है व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030 है व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940 है भूमि सयुक्त तौर से हिररो में आई है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

अर्थात् रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100 है, खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460 है खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460 है एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3780 है एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 115/85 की कुल 6.3740 व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030 है व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940 है भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 प्रतिवादी संख्या 1 के बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी व प्रतिवादी संख्या 2,3 के हक हिस्सा की भूमि का उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों के नाम बहिब दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 तीनों का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2,3 ने भी निवेदन किया की वाद के वाद के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है ईकबाल दावा तारदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता
नोहर

पेरोकार राज ने अपने जबाब में अकित किया की वादीगण पैतृक भूमि स्वयं साबित करे एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो राज्यपक्ष को ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिलस किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपने बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

अर्थात् रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100हैक्, खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक् खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक् एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3780हैक् एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 115/85 की कुल 6.3740 व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030हैक् व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 प्रतिवादी संख्या 1 के बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक होना साबित होने पर साक्ष्य सबुतों के आधार पर डिक्री किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100हैक्, खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक् खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक् एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3780हैक् एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 115/85 की कुल 6.3740 व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030हैक् व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानकराम एवं पडदादा टिकू के नाम से दर्ज थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों एवं भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों से पूर्णतया साबित है वादी के दादा /पडदादा नानकराम एवं टिकू के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नानकराम एवं पडदादा टिकू के नाम से दर्ज थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों से पूर्णतया साबित है।

इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से पूर्णतया साबित है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा /पडदादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पति में पौतों/पौतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा भी पेश किया है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100हैक्, खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक् एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3780हैक् एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 115/85 की कुल 6.3740 व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030हैक् व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पूर्वा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीय तकमील जाबा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवाणी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सीयद शीराज अली जेदी (आर.ए.एस)

अनुवांन :-

1. चोरूलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र नानकराम जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. दिनदयाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
3. भानीराम पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 145 सन 2019 निर्णय दिनांक- 28/8/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100 हैक , खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460 हैक एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3780 हैक एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 115/85 की कुल 6.3740 व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030 हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर